न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,टोंक

पीठासीन अधिकारी— रामरतन सौंकरिया
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
69 / 2023 प्रा.पत्र / 2023	11.07.2023	25.04.2025

सत्यनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी टोंक कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक राज0।

............प्रार्थी

बनाम

1—श्री राकेश मित्तल पुत्र श्री चौथमल मित्तल निवासी मेहन्दीबाग शोरगरान मोहल्ला टोंक जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स मित्तल जनरल स्टोर कलेक्ट्री के सामने टोंक जिला टोंक। पिनकोड—304001।

2—मैसर्स मित्तल जनरल स्टोर कलेक्ट्री के सामने टोंक जिला टोंक। पिनकोड—304001।

3—श्री अशोक कुमार जैन पुत्र श्री चिरन्जी लाल जैन निवासी रघुनाथपुरी बडा तख्ता टोंक जिला टोंक प्रोपरायटर मैसर्स चिरन्जी लाल अशोक कुमार जैन बडा कुऑ जवाहर बाजार टोंक जिला टोंक राज0। पिनकोड—304001।

4—मैसर्स चिरन्जी लाल अशोक कुमार जैन बडा कुऑ जवाहर बाजार टोंक जिला टोंक।

5—श्री हरेन्द्र सिंह निवासी ग्राम व पोस्ट कुम्हा, बाया सेवर तह व जिला भरतपुर नॉमिनी मैसर्स श्री हरि इण्डस्ट्रीज (हरि ऑयल मिल्स) ए—240 रोड नं06, मंगला सरिया के पास, वीकेआई एरिया जयपुर राज0। पिनकोड—302013 / हेड ऑफिस पताः—माल गोदाम रोड भरतपुर राज0। पिनकोड—321001

6—मैसर्स हरि इण्डस्ट्रीज (हरि ऑयल मिल्स) ए—240 रोड नं06, मंगला सरिया के पास, वीकेआई एरिया जयपुर राज0। पिनकोड—302013 / हेड ऑफिस पताः—माल गोदाम रोड भरतपुर राज0। पिनकोड—321001।

........अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii)एवं दण्डनीय धारा 52(सहपठित धारा 49)

उपस्थित—

1—पेरोकार सरकार।

2—अभिभाषक अप्रार्थी सं0 1ता4 श्री राजवीर चौधरी एवं अप्रार्थी सं0 5 व 6 श्री हिम्मत सिंह शक्तावत उप.।

:—निर्णय—: दिनांक 25/4/25

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 15.02.2023 को समय सायं 02:00 पी.एम. पर मैसर्स मित्तल जनरल स्टोर कलेक्ट्री के सामने टोंक जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता के हैसियत से श्री राकेश मित्तल पुत्र श्री चौथमल मित्तल अपने प्रतिष्ठान मैसर्स मित्तल जनरल स्टोर कलेक्ट्री के सामने टोंक

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

जिला टोंक पर खाद्य पदार्थ गुड, तेल, घी, नमकीन, मसाले व अन्य खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, श्री राकेश मित्तल पुत्र श्री चौथमल मित्तल को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री राकेश मित्तल पुत्र श्री चौथमल मित्तल ने स्वयं को प्रतिष्ठान का एकमात्र मालिक होना बताया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा, निरीक्षण करने पर पाया कि प्रतिष्ठान में आम जनता को विक्रय हेतु दुकान में गुड, तेल, कच्ची घाणी सरसों तेल, मसाले के साथ–साथ दुकान की रैंक में पैक्ड अवस्था में लगभग 20 बोतल पैक प्रत्येक नग 500–500 एम.एल. पैक **कच्ची घाणी सरसों तेल (इंजन ब्राण्ड)** रखा हुआ था, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व विनियम 2011 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने एवं मिलावट की शंका होने पर श्री राकेश मित्तल पुत्र श्री चौथमल मित्तल को फार्म नं. 5 ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की एवं दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री राकेश मित्तल पुत्र श्री चौथमल मित्तल व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर कर तस्दीक किया। एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को यह बताकर कि दुकान की रैक में पैक्ड अवस्था में लगभग 20 बोतल पैक प्रत्येक 500–500 एम.एल. पैक में से **कच्ची घाणी सरसों तेल (इंजन ब्राण्ड)** जिसके बैंच नं0 102 एवं पैंकिग की दिनांक 01.11.2022 थी, को ज्यों का त्यों पैक्ड अवस्था 500–500 एम.एल.के 4 मूल पैक वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **कच्ची घाणी सरसों तेल (इंजन ब्राण्ड)** 4 मूल पैक प्रत्येक 500–500 एम.एल. पैक को ज्यों का त्यों खाकी कागज से लपेटकर, नियमानुसार चार भाग तैयार कर, लेबल तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गए खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–3463 दर्ज कर, आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग–अलग 2 खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–3463 नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोंनों पर आये। चारों नमूना भागों को नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला राज0 जयपुंर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

विक्रेता श्री राकेश मित्तल पुत्र श्री चौथमल मित्तल मैसर्स मित्तल जनरल स्टोर कलेक्ट्री के सामने टोंक जिला टोंक ने मौके पर बतौर वारन्टी मैसर्स चिरन्जी लाल अशोक कुमार जैन बडा कुऑं जवाहर बाजार टोंक जिला टोंक का बिल पेश किया एवं आवेदक द्वारा मैसर्स चिरन्जी लाल अशोक कुमार जैन बडा कुऑं जवाहर बाजार टोंक जिला टोंक को पत्र प्रेषित करने पर उक्त फर्म के व्यवहारी ने मैसर्स मैसर्स श्री हरि इण्डस्ट्रीज (हरि ऑयल मिल्स) ए–240 रोड नं06, मंगला सरिया के पास, वीकेआई एरिया जयपुर राज0। पिनकोड–302013/हेड ऑफिस पताः–माल गोदाम रोड भरतपुर का बिल प्रस्तुत कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2023/633 दिनांक 15.03.2023 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला राज0 जयपुंर से प्राप्त जांच रिर्पोट संख्या एलएस/333/एक्ट/2023/439 दिनांक 23.02.2023 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया **कच्ची घाणी सरसों तेल (इंजन ब्राण्ड)** खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) के अनुसार **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेताओं के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभिभाषक अप्रार्थी सं0 1ता4 श्री राजवीर चौधरी एवं अभिभाषक अप्रार्थी सं0 5 व 6 श्री हिम्मत सिंह शक्तावत उपस्थित हुए एवं बहस की तथा बहस में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट/दोष नहीं है। यदि लिये गये नमूने पर "Best Before or use By" और मैन्युफैक्चरिंग की दिनांक लेबल पर दी गई है तो यह भ्रमित करने वाला नहीं होता है एवं इसे दोषसिद्धी में नही माना जाता प्रकरण खारिज करने योग्य है। यह खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी मानकों को पूरा करता है। मात्र इसके लेबल पर कुछ आवश्यक जानकारी मानक प्रारूप में अंकित नहीं होने से उक्त नमूना मिथ्याछाप स्तर का होना पाया गया है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावें।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **कच्ची घाणी सरसों तेल (इंजन ब्राण्ड)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है। The food safety and standards(Labelling and display) Regulations 2020 के

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

अनुसार खाद्य पदार्थ के लेबल पर यदि लिये गये नमूने की भण्डारण अवधि 3 महीने से कम हो तो DD/MM/YY में Expiry Date लिखा होना अनिवार्य है । यदि नमूने की भण्डारण अवधि 3 महीने से अधिक हो तो कम से कम महीने के प्रथम तीन अक्षर केपिटल लेटर में तथा वर्ष अंकित होना आवश्यक है। "Best Before or use By" और मैन्युफैक्चरिंग की दिनांक होन पर इसे Exemption की श्रेणी में नही रखा गया है। चूंकि उक्त खाद्य की भण्डारण अवधि 9 महीने होने से इसके लेबल पर महीना व वर्ष अंकित होना अनिवार्य था जो कि लेबल पर अंकित नहीं होने से उक्त नमूना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 52 (सहपठित धारा 49) में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अभिभाषक अप्रार्थीगण एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया **कच्ची घाणी सरसों तेल (इंजन ब्राण्ड)** का नमूना जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 52 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। चूंकि अप्रार्थी सं0 1ता4 ने वारन्टी बिल पर माल खरीदा इसलिए अप्रार्थी सं0 1 ता 4 को दोषमुक्त किया जाता है एवं अप्रार्थी सं0 5 व 6 के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी सं0 5 व 6 पर कुल शास्ति रूपये 20,000/– (अक्षरे बीस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25/4/25 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

(रामरतन सौंकरिया)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
न्याय निर्णयन अधिकारी एव
टोंक
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक